

‘महिलाएं डिजिटल तकनीक अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं’

अमृता हाट में डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में चल रहे राज्य स्तरीय अमृता हाट में भाग ले रही स्वयं सहायता समूहों की महिला उधिमयों के लिए शनिवार को रंगायन सभागार में एक विशेष डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं

■ **उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अमृता हाट की महिला उधिमयों को दिया डिजिटल मंत्र - डिजिटल ज्ञान से बनेगी आर्थिक उड़ान**

बाल विकास मंत्री, राजस्थान सरकार, दिया कुमारी जी ने शिरकत की। उन्होंने वहां उपस्थित महिलाओं को डिजिटल तकनीक अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापार में वित्तीय साक्षरता आवश्यक है, अतः महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर होना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में केवल उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्य स्तरीय अमृता हाट की विजित के दौरान जब मुझे पता चला कि एसएचजी की महिलाएं अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री बहुत कम करती हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान सरकार, दिया कुमारी जी ने शिरकत की।

महिला अधिकारिता निदेशालय के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के लिए यह वर्कशॉप आयोजित की है। यह एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप लोगों का ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, वित्तीय साक्षरता जरूरी है। यह नॉलेज बहुत उपयोगी है और लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाने का यह आज बहुत आसान और अधिकतम लोगों तक पहुंचने वाला माध्यम है। उन्होंने महिला उधिमयों की सराहना करते हुए कहा कि अब आप महिलाएं नौकरी मांगती नहीं बल्कि कई अन्य महिलाओं को नौकरी देती हो। यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए मंत्र 'वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल' के अनुसार कार्य करना है, ताकि समूचे विश्व में आपके उत्पादों की मांग बढ़े और आपका व्यापार बढ़े। इसी से आप उद्यमशील महिलाओं को ग्लोबल बाजार उपलब्ध हो सकता है। राजस्थान की कला, हस्तशिल्प और आपके द्वारा बनाए गए उत्पाद बेजोड़ हैं, बहुत शानदार हैं, जरूरत है उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की।

उप मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य में राज्य स्तर और जिला स्तर पर जो भी प्रदर्शनियां आयोजित होंगी, उनमें इस प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण वर्कशॉप और वित्तीय साक्षरता की प्रशिक्षण कार्यशाला अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी, ताकि इन महिलाओं के द्वारा तैयार उत्पाद को डिजिटल बाजार की उपयोगिता समझ में आ सके और ये अपने उत्पादों को ज्यादा बेच सकें और

आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, बैंकों और ई-कॉमर्स कंपनियों से भी आह्वान किया कि वे इन महिलाओं का उत्साहवर्धन करें और उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। प्रशिक्षण सत्र के दौरान विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस के उपयोग, उत्पादों की ऑनलाइन ब्रांडिंग, आकर्षक फोटो-वीडियो बनाना, डिजिटल प्रचार-प्रसार, ऑनलाइन प्रमोट, कैंपेजिंग तथा ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार एवं उधिमता को बढ़ावा देना है।



त्यौहारी सीजन मे वन-वे करने के विरोध में शुभाष चौक से बड़ी चोपड़ तक के व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें बंद रैली निकाली।

पांच पंचायत समितियों में संवीक्षा के बाद 273 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध

जयपुर । पंचायती राज आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के तहत जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद 273 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नागक ने बताया कि द्वितीय चरण में शामिल पांच पंचायत समितियों के कुल 81 वार्डों के लिए 13 से 16 अक्टूबर तक 347 अभ्यर्थियों ने कुल 371 नामांकन पत्र दाखिल किए थे।

संवीक्षा के बाद 93 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए तथा 5 नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए। इसके बाद वैध नामांकन पत्रों और वैध अभ्यर्थियों की संख्या 273-273 रही। उन्होंने बताया कि अमरसर के 15 वार्डों के लिए प्राप्त 80 नामांकन पत्रों में से 22 अस्वीकृत और 2 डिस्कार्ड किए गए। संवीक्षा के बाद 56 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। अमेर के 21 वार्डों के लिए प्राप्त 97 नामांकन पत्रों में से 23 अस्वीकृत किए गए।

जेल में मोबाइल और तंबाकू का पैकेट फेंकने वाला गिरफ्तार

जयपुर। लाल कोठी थाना इलाके में स्थित जयपुर सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर 10 में शनिवार दोपहर मोबाइल और तंबाकू का पैकेट फेंकने का मामला सामने आया। जेल की निगरानी में तैनात सिविल ड्रेस के प्रहरियों ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। जेल प्रशासन ने आरोपी को ताल कोठी थाना पुलिस के हवाले कर शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर करीब एक बजे जेल प्रहरी जसवंत, निरंजन और राजेन्द्र जेल की पिछली सीमा के पास कसाई मोहल्ले में निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर

आए दो युवकों ने जेल के वार्ड नंबर 10 की दीवार के ऊपर से मोबाइल और तंबाकू का पैकेट फेंक दिया। निषिद्ध सामग्री फेंकते देखकर प्रहरियों ने दोनों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। प्रहरियों ने बाइक चला रहे शादब पुत्र अयाज अहमद को पकड़ लिया, जबकि पीछे बैठा उसका साथी सोहेल उर्फ कालू पुत्र मोहम्मद शकील खान मौके से भाग निकला। प्रहरियों ने पकड़े गए आरोपी, बाइक और फेंके गए संदिग्ध पैकेट को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जेल प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, वहीं फरार साथी की तलाश जारी है।

नामांकन पत्र मामले में याचिका खारिज

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को मौजामाबाद पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश को सही करार दिया है। जस्टिस रवि चिरानिया की विशेष बेंच ने यह आदेश जीतू देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिए। याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के 15 अक्टूबर 2026 के उस आदेश को

चुनौती दी थी, जिसमें एक से ज्यादा प्रस्तावक होने के आधार पर याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर कर नामांकन पत्र अस्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। जिसके जवाब में एएजी कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि पंचायती राज चुनाव नियम, 1996 की धारा 58 जी के तहत प्रावधान है।

■ **कांग्रेस ने इसे देश के वीर सैनिकों, शहीदों और आतंकवाद के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों का अपमान बताया**

संगठनों तथा विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूँका और बयान के प्रति नाराजगी जताई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटेई महारासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णम चतुर्वेदी ने बयान पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा

देता रहा है। इसके कारण देश के अनेक निदोष नागरिकों को अपनी जान गंवांनी पड़ी है। ऐसे संवेदनशील विषय पर दिया गया बयान देश के सैनिकों, शहीदों और आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की भावनाओं को आहत करने वाला है। चतुर्वेदी ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 भारतीय जवानों और पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में

सेवानिवृत्त एडीजी को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर। सेवानिवृत्त एडीजी को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपए की साइबर ठगी के मामले में जयपुर के सेंट्रल साइबर पुलिस थाने ने एक और आरोपी को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी रविंद्र जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ अक्षय सिंह उर्फ देवा पेशे से जिम ट्रेनर है। पुलिस उसे ट्रांजिट वार्ंट पर जयपुर लेकर आई है। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।



आरोपी रविंद्र जितेंद्र प्रसाद सिंह

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह के अनुसार जयपुर निवासी सेवानिवृत्त एडीजी (जोएसआई) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 9 से 18 अगस्त 2026 के बीच आरोपियों ने फोन और व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताया। आरोपियों ने परिव्रादी को मनी लॉन्ड्रिंग और गंभीर

आपराधिक मामलों में फंसाने तथा गिरफ्तारी वार्ंट जारी होने का भय दिखाया। उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर रहने, किसी से संपर्क नहीं करने और अपनी लाइव लोकेशन चालू रखने के लिए मजबूर किया गया। और दबाव में आकर परिव्रादी ने 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के खाते में 2 करोड़ 2 लाख रुपए और 18 अगस्त

दुपहिया वाहन चुराने वाले दो वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत तथा पैसों के लिए वाहन चोरी करते थे। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले शेर सिंह (26) निवासी मलाराना डूंगर जिला सवाई माधोपुर और कमलजीत उर्फ कमल (33) निवासी रामड़ी जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर परिव्रादी की चोरी हुई मोटरसाइकिल के अलावा थाना क्षेत्र के अन्य मामलों से जुड़ी दो और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। पुलिस को पूछताछ में वाहन चोरी की अन्य वादातों का खुलासा होने की उम्मीद है।

जयपुर । महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार एक और महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा रविवार को प्रातः 11 बजे कॉन्स्टेबल यूशन क्लब, जयपुर में 100 नवीन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से महिला सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, पुलिस की सक्रिय उपस्थिति बढ़ाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने के प्रयासों को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और यूथ महिला

- अब तक सात आरोपी गिरफ्तार
- टेलीग्राम चैनल के जरिए गिरोह से जुड़ा था आरोपी

को यस बैंक के खाते में 10 लाख 10 हजार रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और बैंक खातों के विवरण का विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की। जांच में सामने आया कि रविंद्र टेलीग्राम पर संचालित 'बीआरओ पे चैनल' के माध्यम से साइबर अपराधियों के संपर्क में आया था।

एक सौ नवीन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का होगा

■ **कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और यूथ महिला सीएलजी सदस्यों से सीधा संवाद भी करेंगे।**

सीएलजी सदस्यों से सीधा संवाद भी करेंगे। इस संवाद के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों, मैदानी स्तर पर कार्य करने के अनुभवों तथा सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। महापौर सुनील कोठारी, सांसद मंजू शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत तथा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

निगम आयुक्त ने आदर्श नगर श्मशान भूमि से 16 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का दिया आश्वासन

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आदर्श नगर स्थित श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दायर अवमानना याचिका को निगम आयुक्त ओम कसेरा के आश्वासन के बाद निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होती है तो याचिकाकर्ता इस याचिका को पुनर्जीवित कर सकता है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हुकुम सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त ने अदालत में पेश होकर कहा कि गत 13 अक्टूबर को संबंधित जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं कुछ अतिक्रमियों ने अपना जवाब भी पेश किया है। इन जवाबों का परीक्षण का बाद निस्तारण किया जाएगा और 16 सप्ताह में कार्रवाई पूरी की जाएगी। निगम आयुक्त के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए

खंडपीठ ने अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया है। अवमानना याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने बताया की हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2021 नगर निगम, हेरिटेज को आदेश दिए थे कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों पर उचित कार्रवाई करे। इसके बावजूद भी मौके में अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। पूर्व में सुनवाई के दौरान निगम की ओर से प्रारंभिक आपत्ति उठाते कहा गया कि अब हेरिटेज निगम का अस्तित्व नहीं है और नई संस्था को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में अवमानना याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए। इसके साथ ही मौके पर वन भूमि होने का हवाला देते हुए भी कार्रवाई से बचने की कोशिश की गई। वहीं बाद में वन विभाग के जवाब से जानकारी मिली की श्मशान भूमि को निगम को हैंडओवर किया जा चुका है और उसकी देखरेख और अतिक्रमण सहित अन्य कार्रवाई करने के लिए निगम ही अधिकृत है।

‘कार्यक्रमों के लिए सरकारी भूमि देने के लिए एसओपी बनाए आवासन मंडल’

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल को कहा है कि सार्वजनिक भूमि को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के उपयोग में देने के लिए एसओपी तैयार करे। अदालत ने कहा कि एसओपी बनने से भविष्य में विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। वहीं अदालत ने कहा है कि संबंधित भूमि को 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक गतिविधियां संचालित करने के लिए बजरंग सेवा समिति को दे और 20 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम के लिए सेक्टर 8 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति को दे। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश सेक्टर 9 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति की याचिका पर दिए।

■ **अदालत ने कहा कि एसओपी बनने से भविष्य में विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा**

याचिका में अधिवक्ता अभिषेक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता समिति बीते करीब 13 साल से स्थानीय सार्वजनिक मैदान पर दशहरा कार्यक्रम आयोजित करती आई है। इसके लिए उन्हें एक-दो दिनों के लिए निर्धारित शुल्क लेकर यह भूमि उपलब्ध कराई

जाती है। इस बार उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए बजरंग सेवा समिति को भूमि उपयोग की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया कि समिति का उद्देश्य जनहित में यह त्यौहार आयोजन का रहता है और इसे लेकर आज तक आवासन मंडल के पास भी किसी ने शिकायत नहीं दी है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से भूमि को 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बजरंग सेवा समिति व 20 अक्टूबर को समिति को उपयोग लेने की अनुमति देते हुए आवासन मंडल को भविष्य के लिए एसओपी बनाने को कहा है।

जयपुर में बेकरी शॉर्टनिंग के 2699 किलो उत्पाद सीज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन तथा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ के निर्देशन में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अधिकारण चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के मार्गदर्शन एवं संयुक्त आयुक्त वी.पी. शर्मा के पर्यवेक्षण में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एम/एस एसके एंटरप्राइजेज के मैनुफैक्चरिंग प्लांट पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान 'बेकरी शॉर्टनिंग' के नाम पर चंचल, नेहा गोलेड और जग मोहड सहित विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने उत्पाद की प्रकृति, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जांच शुरू की है।

■ **झोटवाड़ा के एसके एंटरप्राइजेज के प्लांट पर कार्रवाई**
■ **‘बेकरी शॉर्टनिंग’ के नाम पर विभिन्न ब्रांडों के तहत उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री किए जाने का मामला**

खाद्य सुरक्षा दल ने नमूने लेने की कार्रवाई के साथ बयानों में बिक्री के लिए तैयार 2,699.2 किलोग्राम बेकरी शॉर्टनिंग को सीज किया। विभाग की सतर्कता से त्यौहारी सीजन में इस

उत्पाद की बिक्री पर जांच पूरी होने तक रोक लगाई गई है। उत्पाद की गुणवत्ता और नियमानुसार लेबलिंग से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों के नाम या लेबल का आडू में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।